उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-9

संख्या-38/2016/303/अड़तीस-9-16-06(बजट)/15

लखनऊ : दिनांक- 08 जुलाई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप/संशोधन

विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-26/2016/226/अड़तीस-9-16-06(बजट)/15, दिनांक-12 मई, 2016 में मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-72 पर अंकित नोडल जनपद को जालौन किये जाने विषयक मुख्य विकास अधिकारी, जालौन स्थान उरई के पत्र संख्या-681/अभि0-वि0नि0/2016-17, दिनांक-03.06.2016 के माध्यम से प्राप्त श्रीमती रमा निरंजन, मा0 सदस्य, विधान परिषद के पत्र दिनांक-24.05.2016 द्वारा अपना नोडल जनपद-जालौन किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- विधान मण्डल के दोनों सदनों के मा0 सदस्यों को अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास कार्यों हेतु विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 की धनराशि की प्रथम किश्त अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-26/2016/226/ अड़तीस-9-16-06(बजट)/15, दिनांक-12 मई, 2016 के संलग्नक में विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-72 में निम्नवत् अंकन हुआ है:-

क्र0 सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
72	श्रीमती रमा निरंजन	झाँसी-जालौन-ललितपुर स्था0 प्रा0	झाँसी	5.483

उक्त को संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश दिनांक-12 मई, 2016 के संलग्नक विधान परिषद के मा0 सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों के जनपदों को आवंटित धनराशि की सूची "ब" में क्रम संख्या-72 निम्नवत् पढ़ा जाय:-

क्र0सं0	विधान परिषद सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	नोडल जनपद का नाम	अवमुक्त धनराशि (लाख रूपये में)
72	श्रीमती रमा निरंजन	झाँसी-जालौन-ललितपुर स्था0 प्रा0	जालौन	5.483

-2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- शासनादेश संख्या-26/2016/226/अड़तीस-9-16-06(बजट)/15, दिनांक-12 मई, 2016 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी तथा शासनादेश दिनांक-12 मई, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-38/2016/ 303 (1) /अड़तीस-9-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
4- प्रमुख सचिव, संसदीय कार्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
6- निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उ0प्र0।
7- निजी सचिव, मा0 सभापति, विधान परिषद, उ0प्र0।
8- निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
11- जिलाधिकारी, झाँसी व जालौन, उ0प्र0।
12- मुख्य विकास अधिकारी, झाँसी व जालौन, उ0प्र0।
13- कोषाधिकारी, झाँसी व जालौन, उ0प्र0।
14- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
15- नियोजन अनुभाग-3/ग्राम्य विकास अनुभाग-3/गार्डबुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।